सत्यमेव जयते

# झारखण्ड विधान-सभा

## संविधान के 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा का निर्णय

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची ।

20 फरवरी, 2019/20 फाल्गुन 1940 (शक)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान–सभा

**संविधान के 10 वीं अनुसूची के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा का निर्णय**

श्री बाबुलाल मराण्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष
झारखण्ड विकास मोर्चा(प्र0) एवं
श्री प्रदीप यादव, सदस्य
झारखण्ड विधान सभा.....वादी

बनाम्

| | |
|---|---|
| श्री नवीन जयसवाल, | स0वि0स0.....प्रतिवादी |
| श्री गणेश गंझू, | स0वि0स0 |
| श्री अमर कुमार बाउरी, | स0वि0स0 |
| श्री आलोक कुमार चौरसिया, | स0वि0स0 |
| श्री रणधीर कुमार सिंह, | स0वि0स0 |
| श्री जानकी प्रसाद यादव, | स0वि0स0। |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची
20 फरवरी, 2019/20 फाल्गुन 1940 (शक)

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक:- 21/02/2019

संख्या-कार्मिक-(खण्ड) 6-10/15 596 /वि0स0 एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची (अनुच्छेद 191(2) के साथ पठित) के तहत् श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0, श्री गणेश गंझू, स0वि0स0, श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0, श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0, श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0 एवं श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0 के विरुद्ध दल परिवर्त्तन के आधार पर विधानसभा की सदस्यता से निरर्हत्ता संबंधी श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के उपरांत अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक 20.02.2019 को दिये गये निर्णय (प्रति संलग्न) को प्रकाशित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से,

महेन्द्र प्रसाद 21/02/19

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0 - कार्मिक-खण्ड-6-10/15 597 /वि0स0, राँची दिनांक 21/02/19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित अधिसूचना (निर्णय सहित) को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 20 प्रतियों में सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

21/2/19

(कमलेश कुमार दीक्षित)

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

21.02.19

## अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा का न्यायाधिकरण, राँची

याचिका ...../2015

याचिका कर्त्ता:- श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झा0वि0मो0 (प्रजातांत्रिक)-वादी

बनाम

प्रतिवादी:- श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0
श्री गणेश गंझू, स0वि0स0
श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0
श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0
श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0
श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0

एवं याचिका ..... / 2015

याचिका कर्त्ता:- श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 (वादी)

बनाम

प्रतिवादी:- श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0
श्री गणेश गंझू, स0वि0स0
श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0
श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0
श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0
श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0

वादी के विद्वान अधिवक्ता:- 1. श्री राजनन्दन सहाय, विद्वान वरीय अधिवक्ता
2. श्री यशवर्धन, विद्वान अधिवक्ता

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता:-1. श्री राजीव रंजन, विद्वान वरीय अधिवक्ता
2. श्री जय प्रकाश झा, विद्वान वरीय अधिवक्ता
3. श्री भी0 विश्वनाथ, विद्वान वरीय अधिवक्ता
4. श्री अनिल कुमार, विद्वान वरीय अधिवक्ता

## निर्णय

### मुख्य तथ्य

(1) श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) ने दिनांक - 09.02.2015 को अपने पत्रांक-107/JVM/15, दिनांक - 09.02.2015 द्वारा मेरे समक्ष आवेदन देकर सूचित किया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण दिनांक - 09 फरवरी, 2015 को तत्काल प्रभाव से श्री नवीन जयसवाल, क्षेत्र सं0 - 64 (हटिया), श्री गणेश गंझू (26-सिमरिया), श्री अमर कुमार बाउरी (37-चंदनक्यारी) एवं श्री आलोक चौरसिया (76-डाल्टेनगंज) को झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) से निलंबित किया जाता है।

(2) दिनांक-09.02.2015 को श्री नवीन जयसवाल, क्षेत्र सं0-64 (हटिया), श्री रणधीर कुमार सिंह (14-सारठ), श्री गणेश गंझू (26-सिमरिया), श्री जानकी प्रसाद यादव (20-बरकट्ठा), श्री आलोक कुमार चौरसिया (76-डाल्टेनगंज) एवं श्री अमर कुमार बाउरी (37-चंदनक्यारी) द्वारा मेरे समक्ष संयुक्त रूप से आवेदन देकर सूचित किया गया कि, "झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0), राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी से समान विचारधारा होने के कारण व्यापक राज्यहित में झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक), राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। हम सभी अधोहस्ताक्षरी जो झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0), राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इस विलय पर अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी अपनी पार्टी में हमारी पार्टी के विलय की सहर्ष सहमति प्रदान की है।"

साथ ही यह अनुरोध किया कि उन सभी अधोहस्ताक्षरी विधायकगण को झारखण्ड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की कृपा की जाय।

(3) मेरे समक्ष श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) ने दिनांक-10.02.2015 के आवेदन, जो मुझे दिनांक-11.02.2015 को प्राप्त हुआ, के पत्रांक - 114/JVM/15, 115/JVM/15, 116/JVM/15, 117/JVM/15, 118/JVM/15, 119/JVM/15, के द्वारा क्रमशः श्री नवीन जयसवाल, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री गणेश गंझू, श्री रणधीर कुमार सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव के पार्टी के विरोध में

आचरण एवं पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने के कारण 10वीं अनुसूची के नियम के तहत् विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

(4) दिनांक-11.02.2015 को श्री रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड ने आवेदन देकर मुझे सूचित किया कि "झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा से सदस्य के रूप में निर्वाचित विधायकगण यथा - श्री नवीन जयसवाल, हटिया विधानसभा (64), श्री रणधीर सिंह, सारठ विधानसभा (14), श्री गणेश गंझू, सिमरिया विधानसभा (26), श्री जानकी प्रसाद यादव, बरकट्ठा विधानसभा (20), श्री आलोक चौरसिया, डाल्टेनगंज विधानसभा (76) एवं श्री अमर बाउरी, चंदनक्यारी विधानसभा (37) ने भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने का निर्णय लिया है। इस पूर्ण विलय के निर्णय को हम (भा0ज0पार्टी) स्वीकार करते हैं और इस संबंध में केन्द्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, नई दिल्ली से मेरी वार्ता हुई और उन्होंने भी इस पूर्ण विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड विकास पार्टी (प्र0) राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या - आठ (08) है जिसमें से कुल छः (06) विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में विलय का निर्णय लिया है जो कि 2/3 बहुमत से अधिक है।"

इस क्रम में उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त सभी विधायकों को झारखण्ड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की कृपा की जाय।

(5) श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) ने दिनांक-11.02.2015 के पत्रांक - 118/JVM/15 एवं 119/JVM/15 द्वारा मुझे सूचित किया कि श्री रणधीर सिंह, सदस्य विधानसभा, 14-सारठ एवं श्री जानकी प्रसाद यादव, सदस्य विधानसभा, 20-बरकट्ठा, दिनांक - 11 फरवरी, 2015 दिल्ली झारखण्ड भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो दल-बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची के तहत् सदस्यता निरर्हता के अन्तर्गत आता है। श्री रणधीर सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव पूर्व से ही पार्टी के निलंबित अन्य चार विधायकों के साथ मान्यता देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जो प्रमुखता से सभी अखबारों में प्रकाशित हुआ है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इसलिए श्री रणधीर सिंह,

विधायक, 14-सारठ एवं श्री जानकी प्रसाद यादव, विधायक, 20-बरकट्ठा को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाय।

(6) मेरे समक्ष दिनांक-09.02.2015 से दिनांक-11.02.2015 के मध्य श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) द्वारा विभिन्न आवेदनों के माध्यम से चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा के लिए झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के चुनाव चिन्ह से निर्वाचित सदस्यगण सर्वश्री नवीन जयसवाल, गणेश गंझू, आलोक कुमार चौरसिया एवं अमर कुमार बाउरी जिन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया सहित दो अन्य माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव को विधानसभा की सदस्यता से संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत् अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया।

(7) इसी दरम्यान झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के चुनाव चिन्ह से निर्वाचित उक्त सभी छः माननीय सदस्यगण द्वारा मुझे आवेदन देकर झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक पार्टी का सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी में विलय करने की सूचना देते हुए सत्ता पक्ष में अपना स्थान आवंटन करने का अनुरोध किया गया तथा श्री रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन देकर झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय पर अपनी एवं अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सहमति की सूचना देते हुए उक्त सभी विधायकों को झारखण्ड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया।

(8) प्राप्त सभी आवेदन के अवलोकन एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत् सम्यक् विचारोपरांत मेरे द्वारा दिनांक-12.02.2015 को निम्न आदेश पारित किया गया --

**झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय**

**विवरणिका**

झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के सदस्य के रूप निर्वाचित सदस्यगण सर्वश्री नवीन जयसवाल, 64, हटिया विधान सभा क्षेत्र, रंधीर कुमार सिंह, 14, सारठ विधान सभा क्षेत्र, गणेश गंझू, 26, सिमरिया विधान सभा क्षेत्र, जानकी प्रसाद यादव, 20, बरकट्ठा विधान सभा क्षेत्र, आलोक कुमार चौरसिया, 76, डाल्टनगंज विधान सभा क्षेत्र तथा अमर कुमार बाउरी, 37, चन्दनकियारी विधान सभा क्षेत्र, ने संयुक्त आवेदन देकर सूचित किया है कि झारखण्ड

विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) राजनीतिक दल ने अपने दल का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में विलय करने का निर्णय लिया है। इस विलय के निर्णय पर वर्णित सभी छः माननीय सदस्यों ने स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नेतृत्व ने अपनी पार्टी में हमारी पार्टी अर्थात् झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के विलय की सहमति प्रदान की है। उक्त पत्र द्वारा सभी 6 विधायकों को झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची को संबोधित पत्र में उल्लेख किया गया है कि झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित विधायकगण यथा सर्वश्री नवीन जयसवाल, 64, हटिया विधान सभा क्षेत्र, रंधीर सिंह, 14, सारठ विधान सभा क्षेत्र, गणेश गंझू, 26, सिमरिया विधान सभा क्षेत्र, जानकी प्रसाद यादव, 20, बरकट्ठा विधान सभा क्षेत्र, आलोक चौरसिया, 76, डाल्टनगंज विधान सभा क्षेत्र एवं अमर कुमार बाउरी, 37, चन्दनकियारी विधान सभा क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने का निर्णय लिया है। इस पूर्ण विलय के निर्णय को प्रदेश अध्यक्ष तथा केन्द्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही यह भी उल्लिखित है कि झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक), राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 8 है जिनमें से 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में विलय का निर्णय लिया है, जो दो-तिहाई बहुमत से अधिक है। पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त सभी विधायकों को झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित किया जाए।

श्री बाबूलाल मरांडी केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) ने अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को दिनांकः 9.02.2015 को आवेदन देकर सूचित किया है कि सर्वश्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0, गणेश गंझू, स0वि0स0, आलोक चौरसिया, स0वि0स0, अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0 को 9 फरवरी, 2015 के प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, दिनांकः 10.02.2015 एवं 11.02.2015 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को दिए गए अलग-अलग आवेदन पत्र द्वारा श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0, श्री गणेश गंझू, स0वि0स0, श्री आलोक चौरसिया, स0वि0स0, श्री अमर बाउरी,

स0वि0स0, श्री रंधीर सिंह, स0वि0स0 तथा श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0 को संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक), संबंधित माननीय सदस्यगण श्री नवीन जयसवाल, श्री रंधीर कुमार सिंह, श्री गणेश गंझू, श्री जानकी प्रसाद यादव, श्री अमर कुमार बाउरी एवं आलोक कुमार चौरसिया से प्राप्त संयुक्त आवेदन पत्र तथा श्री रवीन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के आवेदन के आलोक में भारत का संविधान के अनुच्छेद 191 (2) तथा संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि -

1. दसवीं अनुसूची के पैरा-4 (2) के अधीन प्रथम दृष्ट्या विलय की शर्त्तों को पूरा करने के कारण इस मामले में विलय की सहमति प्रदान की जाती है ।

2. नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के तहत् श्री बाबूलाल मरांडी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के आवेदन के आलोक में दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से वर्णित सभी 6 माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य समझे जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के आदेश से,

(ज्ञापांक सं0-कार्मिक-10/2015-62/वि0स0,राँची दिनांक-12.02.2015)

(9) दिनांक-12.02.2015 को श्री बाबूलाल मरान्डी, श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0, श्री के0के0 पोद्दार एवं श्री राजनन्दन सहाय, विद्वान वरीय अधिवक्ता मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा उन्होंने 10वीं अनुसूची के पैरा-2(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि पैरा-2(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इस क्रम में उन्होंने पैरा-2(1) (क) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जिसके तहत् यह प्रावधान किया गया है कि सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का

सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जब उसने ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, जिसमें उसे ऐसे सदस्य के रुप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था।

(10) दिनांक-12.02.2015 के आदेश के आलोक में मेरे द्वारा दिनांक-13.02.2015 को श्री नवीन जयसवाल, श्री गणेश गंझू, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री रणधीर कुमार सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव सभी सदस्य झारखण्ड विधानसभा को नोटिस दिया गया कि दिनांक-16.02.2015 को 03.30 बजे अप0 में सभा सचिवालय स्थित मेरे कार्यालय कक्ष में सशरीर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे कि क्यों नहीं भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन सदस्यता निरर्हता संबंधी इनके विरुद्ध प्राप्त आवेदन को स्वीकार कर लिया जाय। इन्होंने दिनांक-16.02.2015 को संयुक्त आवेदन द्वारा निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में विधि विशेषज्ञों का परामर्श कर अपना पक्ष रखने के लिए इन्हें कम-से-कम दो महीने का समय चाहिए। प्रतिवादी माननीय सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-09.03.2015 तक का समय दिया गया।

(11) दिनांक-09.03.2015 को मेरे कार्यालय कक्ष में श्री नवीन जयसवाल, श्री गणेश गंझू, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री रणधीर कुमार सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव, सभी सदस्य झारखण्ड विधान सभा मेरे समक्ष सशरीर उपस्थित होकर अपना लिखित पक्ष रखा और न्यायाधिकरण का ध्यान झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 के नियम-6 के उप नियम (6) एवं (7) में अंकित प्रावधान की ओर आकृष्ट किया। नियम 6 का (6) 'प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा' एवं (7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा। इस परिपेक्ष्य में याचिकाकर्त्ता श्री बाबूलाल मरान्डी द्वारा समर्पित याचिका में उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है इसलिए नियम-7(2) के आलोक में याचिका निरस्त किया जाय। नियम 7(2) यह प्रावधान करता है कि 7(2) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तदनुसार संसुचित करेगा।

तत्पश्चात् सदस्यगण से प्राप्त इस लिखित पक्ष की छायाप्रति मेरे कार्यालय के पत्रांक-450, दिनांक-10.03.2015 के द्वारा श्री बाबूलाल मरान्डी को उपलब्ध करा दिया गया।

(12) दिनांक-25.03.2015 को श्री बाबूलाल मरान्डी के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजनन्दन सहाय, मेरे कार्यालय कक्ष में मेरे समक्ष उपस्थित होकर याचिका के ग्राह्यता के विषय में अपना पक्ष रखते हुए श्री बाबूलाल मरान्डी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं संलग्नक उपलब्ध कराया।

साथ ही इसी तिथि को श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 की ओर से इस मामले से सम्बन्धित एक समरूप याचिका भी पृथक से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(13) दिनांक-20.05.2015 वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री श्रेष्ठ गौतम मेरे समक्ष उपस्थित होकर सभी 06 (छः) सदस्यगण का वकालतनामा प्रस्तुत करते हुए अपना तथ्य भी प्रस्तुत किया और यह आपत्ति की कि श्री बाबूलाल मरान्डी जी ने दिनांक-11.02.2015 को आवेदन दिया है वह सिर्फ एक आवेदन था, उसमें कोई शपथ-पत्र साथ नहीं था और न ही वह 10वीं अनुसूची में निर्धारित विहित प्रपत्र में ही था इसलिए वह मात्र आवेदन है इसे 10वीं अनुसूची के लिए याचिका नहीं माना जा सकता।

इसके पश्चात् मेरे द्वारा श्री बाबूलाल मरान्डी को प्रतिवादी सदस्यों द्वारा प्राप्त प्राथमिक आपत्ति तथा लिखित उत्तर की प्रति उपलब्ध कराते हुए दिनांक-03.07.2015 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

(14) इस दरम्यान श्री बाबूलाल मरान्डी द्वारा दिनांक-26 जून, 2015 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में मेरे न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई को पूर्ण करने हेतु समय निर्धारण करने के लिए याचिका दायर किया गया।

(15) दिनांक-03.07.2015 को वादी पक्ष के श्री बाबूलाल मरान्डी की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजनन्दन सहाय एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 स्वयं मेरे समक्ष हो लिखित जवाब देते हुए श्री बाबूलाल मरान्डी के आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्राथमिक आपत्ति पर अपना पक्ष रखा कि डॉ0 महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद में उद्धृत है कि सी0पी0सी0 की प्रक्रिया पालन करने के लिए विधान सभा ने जो नियम बनाया है वह सिर्फ प्रक्रिया के लिए है मूल एवं बाध्यकारी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी आदमी एक चिट्ठी अध्यक्ष को लिख दे तो अध्यक्ष उस पर संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जब मान्यता प्राप्त पार्टी के अध्यक्ष पत्र लिखते हैं तो पत्र देने के बाद कोई जरूरत नहीं है कि इस तरह के प्रक्रिया का पालन किया जाय।

(16) न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित दिनांक-30.09.2015 को हुई सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 एवं विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजनन्दन सहाय तथा प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव रंजन एवं अधिवक्ता श्री गौरव अभिषेक उपस्थित हुए। श्री प्रदीप यादव ने झारखण्ड विधानसभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 के नियम-4(2) पर अपना पक्ष रखा कि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ हो, यहाँ तक कि निर्दलीय भी सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। नियम-4(2) के उप-पैरा-(1) के प्रयोजनों के लिए सदन के किसी सदस्य के लिए मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं। कोई राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाय तब उसकी सदस्यता बची रहेगी लेकिन यहाँ झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है केवल झा0वि0मो0 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गये हैं इसलिए इनकी सदस्यता जानी चाहिए। इन्होंने उदारहण दिया कि बिहार विधान परिषद में कॉंग्रेस पार्टी से निर्वाचित श्री एम0पी0 सिंह द्वारा लोक सभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण विधान परिषद की सदस्यता से निरर्हित किया गया था। इसी तरह उड़ीसा विधानसभा में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सभी चार विधायक के बीजू जनता दल में शामिल होने पर इनकी भी सदस्यता 5 जून, 2012 को चली गयी। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विधायकों का जाना राजनीतिक दल का विलय नहीं समझा जा सकता।

(17) वादी पक्ष श्री बाबूलाल मरान्डी की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राज नन्दन सहाय ने पक्ष रखा कि पारा 2(2) कहता है कि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो गया है। एक ही शर्त्त पर निरर्हित नहीं होंगे, वह है:- पैरा 4(1)-दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता का विलय की दशा में लागू न होना - (1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य - (क) यथास्थिति ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने गये राजनीतिक दल के सदस्य बन गये हैं, अर्थात् किसी

राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय के लिए दो तिहाई विधायक दल की सहमति आवश्यक है। नियम 2(1)(क) दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता - (1) पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिये उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें - (क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है। यहाँ झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के 08 में से 06 विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं इसलिए माना जायेगा कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है। पैरा 4 (2) कहता है कि इस पैरा के उप पैरा (1) के प्रयोजन के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं, परन्तु यहाँ झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक दल तो किसी अन्य राजनीतिक दल से विलय नहीं किया, फिर भी झा0वि0मो0 (प्र0) 06 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये, इसलिये यह निरर्हत्ता का मामला बनता है।

(18) सभी 06 प्रतिवादी की तरफ से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने पक्ष रखा कि झारखण्ड विधानसभा सदस्य दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता नियम 2006 नियम 6 के अनुसार प्रत्येक अर्जी में उन तार्किक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है और (ख) के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की यदि कोई हो प्रतियाँ संलग्न होंगे जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहाँ अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गयी किसी जानकारी पर निर्भर करता है वहाँ उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गयी ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा। इन्होंने इस विषय में तर्क दिया है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर याचिका दल बदल से सम्बन्धित नहीं बल्कि यह विलय से सम्बन्धित मामला है।

(19) न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक-29.01.2016 को दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक-02.02.2016 को वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित प्रस्तावित मुद्दे (Proposed issue) उपलब्ध कराया गया।

(A) वादी पक्ष का प्रस्तावित मुद्दा निम्न है:-

(i) Whether the 6 MLAs namely Navin Jaiswal, Amar Kumar Bauri, Janki Prasad Yadav, Ganesh Ganjhu, Randhir Kumar Singh and Alok Kumar Chaurasia who won the election on the seat of JVM (P) in 2014 Jharkhand Vidhan Sabha General Election subsequently voluntarily left JVM (P) and joined BJP has amounted to defection and

incurred them liable to be declared disqualified to continue as member of 4th Jharkhand Vidhan Sabha from the date they joined BJP under 10th Schedule of the constitution of India?

(ii) Whether JVM (P) a political party recognized by ECI along with its constitution approved/registered by Election Commission of India can merge with any other party in accordance with the provision of Article-20 of its constitution where at least 2/3rd of the Central Committee members are required approve the resolution of such merger?

(iii) Whether according to Article 14 of its constitution the Central President of JVM (P) only its empowered to call a meeting of its central working as also special meeting to resolve the issue of merger with any other party?

(iv) Whether there was any proposal of merger brought before the central working committee or special meeting of the Central Working Committee was called and was put in motion to consider the merger of JVM (P) into BJP?

(v) Whether there is any resolution of Central Working Committee of JVM (P) to merge with BJP far less by 2/3rd majority?

(vi) Whether the letter of State President of BJP submitted before the Hon'ble Speaker is itself is a proof that JVM (P) has not merged with BJP, rather only the 6 defector MLAs of JVM (P) have voluntarily left JVM (P) and joined BJP ?

(vii) Whether joining of the 6 MLAs of JVM (P) would not amount to merger of JVM (P) into BJP ?

(viii) Whether any other relief for which the applicant is entitled may be granted to him ?

(ix) That other and further issue may be urged at the time of hearing of the instant case ?

(B) प्रतिवादी पक्ष का प्रस्तावित मुद्दा निम्न है:-

(i) Whether the petitioners have valid cause of action ?

(ii) Whether the present case is of defection or merger ?

(iii) Whether the present case falls within the exception as provided under 10th schedule?

(iv) Whether merger of joining of 6 MLAs amounts to merger in BJP ?

(v) Whether the original political party JVM has merged into BJP in terms of the para 4 of the Constitution of India ?

(vi) Whether the merger of the original political party JVM into BJP fulfilling the requirements provided under 10th schedule of the Constitution of India has been done with agreement of not less than 2/3rd of the legislative members of the JVM ?

(vii) Whether in the view of the merger, the conditions of disqualification under para 2 do not apply in the instant case ?

(20) दिनांक-11.04.2016 को न्यायाधिकरण के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिखित प्रस्तावित मुद्दा (Proposed issue) दिनांक-02.02.2016 को समर्पित किया गया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् वादी पक्ष की गवाही आरम्भ किया गया।

(21) दिनांक-11.04.2016 को श्री बाबूलाल मरान्डी ने गवाही दिया कि झा0वि0मो0 (प्र0) की दिनांक-27.12.2014, दिनांक-06.01.2015, दिनांक-08.01.2015, दिनांक-17.01.2015 तथा केन्द्रीय कार्य समिति की दिनांक-18.01.2015 को हुई बैठक में झा0वि0मो0 (प्र0) के निर्वाचित सभी 08 विधायकगण उपस्थित थे परन्तु पार्टी के दिनांक-09.02.2015 को हुई बैठक में प्रतिवादी सभी 06 विधायकगण अनुपस्थित थे। इसके बाद अचानक दिनांक-11.02.2015 को इन्हें पता चलता है कि उल्लेखित सभी 06 विधायकगण दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिये। पार्टी की कार्य समिति की दिनांक-18.01.2015 को हुई बैठक में विलय की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए झा0वि0मो0 (प्र0) का भारतीय जनता पार्टी में विलय की सूचना बिल्कुल गलत और निरर्थक है इसलिए उपरोक्त सभी विधायकगण के विरूद्ध संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत् याचिका दायर किया गया।

(22) श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 ने गवाही दिया कि श्री बाबूलाल मरान्डी जी द्वारा दर्ज बयान का वे अक्षरशः सहमति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, माह 2014 के आम चुनाव के परिणाम के बाद झा0वि0मो0 (प्र0) के दिनांक-27.12.2014, 06.01.2015, 08.01.2015 एवं दिनांक-17.01.2015 को हुई बैठक में पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकगण उपस्थित हुए थे। पार्टी की कार्य समिति की बैठक दिनांक-18.01.2015 को हुई बैठक जिसमें सभी विधायकगण उपस्थित थे, ने विलय के बारे में विन्दु मात्र भी चर्चा नहीं हुई कि हमें किस पार्टी में विलय करना है। पार्टी की दिनांक-09.02.2015 को हुई बैठक से प्रतिवादी सभी 06 विधायकगण अनुपस्थित रहे। इनसे सम्पर्क करने का भरपूर प्रयास किया गया परन्तु असफलता ही हाथ लगी। तत्पश्चात् पार्टी द्वारा इन सभी विधायकगण को कारण-पृच्छा करते हुए निलम्बित करने का निर्णय लिया गया जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय को भी दिया गया। दिनांक-11.02.2015 को टेलीविजन में प्रमुखता से खबर आई कि वे सभी 06 विधायकगण भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात् माननीय

अध्यक्ष महोदय के समक्ष लिखित रुप से याचिका दर्ज किया गया कि इन्हें संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत् सदस्यता से निरर्हित किया जाय।

(23) वादी पक्ष की ओर से सूचीबद्ध 8 गवाहों में से 7 गवाहों की गवाही दिनांक-11.04.2016 से दिनांक-03.03.2017 के मध्य हुई।

मेरे समक्ष दिनांक-11.04.2016 की सुनवाई में वादी श्री बाबूलाल मरान्डी, श्री प्रदीप यादव, डॉ0 सबा अहमद का गवाही लिखित एवं मौखिक रुप में हुआ।

शेष वादी के गवाह श्री कृष्ण कुमार पोद्दार, श्री दिलीप मिश्रा, श्रीमती संपत्ति देवी एवं श्री सुनील साहू, श्री प्रकाश राम का लिखित गवाही हुआ।

(24) दिनांक-03.05.2016 की सुनवाई में मेरे समक्ष वादी श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 का प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन के द्वारा किया गया। इसी तिथि में श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 का मौखिक गवाही दर्ज हुई।

दिनांक-03.05.2016 की सुनवाई में वादी श्री प्रदीप यादव के द्वारा प्रतिपरीक्षण में ये बताया गया कि झा0वि0मो0 (प्र0) पार्टी आज भी अस्तित्व में है और मेरी पार्टी का विलय तभी होगा जब 2/3 केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। तब हमारी पार्टी का विलय होगा। इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है और न ही इसकी कोई प्रमाण है।

(25) दिनांक-28.05.2016 की सुनवाई में मेरे समक्ष वादी के गवाह श्री कृष्ण कुमार पोद्दार, श्री सुनील साहू, श्रीमती संपत्ति देवी, श्री दिलीप मिश्रा का मौखिक एवं लिखित गवाही दर्ज की गई।

दिनांक-28.06.2016 को वादी श्री बाबूलाल मरान्डी का प्रतिपरिक्षण प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा शपथ के उपरांत मेरे समक्ष किया गया। इसी तिथि में वादी गवाह डॉ0 सबा अहमद, श्री के0के0 पोद्दार का प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

(26) श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झा0वि0मो0 (प्र0) ने दिनांक-28.06.2016 की सुनवाई में मेरे समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान अपना पक्ष रखा कि दिनांक-08.02.2015 की बैठक, जो श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0 के अध्यक्षता में हुई है, की कोई जानकारी नहीं है। दिनांक-09.02.2015 को बैठक हुई थी जिसमें दो विधायक श्री प्रदीप यादव एवं श्री प्रकाश

राम को छोड़कर शेष अन्य 6 विधायक नहीं आये थे और इनमें से चार विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण निलंबित किया गया था। इसके पूर्व 4 सम्बन्धित विधायकों को स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण उन चार विधायक श्री नवीन जयसवाल, श्री गणेश गंझू, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री आलोक कुमार चौरसिया की सदस्यता समाप्त करने के लिए दिनांक-10.02.2015 को अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा को पत्र लिखा। शेष 2 विधायक श्री रणधीर कुमार सिंह एवं श्री जानकी प्रसाद यादव को भी पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण दिनांक-10.02.2015 को सदस्यता समाप्त करने हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा को पत्र लिखा गया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झा0वि0मो0 (प्र0) का संविधान के अनुसार अध्यक्ष ही बैठक बुलाती है और झा0वि0मो0 (प्र0) पार्टी का विलय के सम्बन्ध में ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। झा0वि0मो0 (प्र0) के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में स्वेच्छा से चले गये हैं और यह पार्टी का विलय नहीं, यह विधायक विलय है।

(27) दिनांक-02.09.2016 की सुनवाई में मेरे समक्ष शेष वादी के गवाह श्रीमती संपत्ति देवी, श्री दिलीप मिश्रा का प्रतिपरीक्षण वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्ण हुआ। इस सुनवाई तिथि में वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजनंदन सहाय द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में इस याचिका से सम्बन्धित दर्ज याचिका WP(C)-2754/2015 पर चर्चा हुई एवं इसकी आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया जो अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के समक्ष 10वीं अनुसूची के मामले की सुनवाई पूर्ण करने हेतु समय निर्धारण से सम्बन्धित था। झारखण्ड विधानसभा का दल परिवर्त्तन नियम 2006, उपनियम 7 के अनुसार - "अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुँचेगा जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।" इसलिए याचिका की सुनवाई को पूर्ण करने की अवधि निश्चित करना उचित नहीं है।

दिनांक-28.09.2016 की सुनवाई में श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 का प्रतिपरीक्षण वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेष्ठ गौतम के द्वारा किया गया।

न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक-24.11.2016 को नोटिस जारी किया गया कि आगामी तिथि दिनांक-02.12.2016 को श्री सुनील साहू प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित रहें लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-03.03.2017 की सुनवाई में मेरे द्वारा निर्गत आदेश के बाद

श्री सुनील साहू का प्रतिपरीक्षण श्री राजीव रंजन, प्रतिवादी के विद्वान वरीय अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

(28) दिनांक-20.03.2017 की सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण का यह निर्णय हुआ कि श्री बाबूलाल मरान्डी एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत् दो याचिका दर्ज है। दोनों पक्षों के द्वारा चर्चा के उपरांत दोनों याचिकाओं के गवाह एक हैं, प्रार्थना एवं विषय भी लगभग एक है इस आधार पर दोनों याचिका को मर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्णय सभी पक्षों को उपलब्ध कराया गया।

(29) प्रतिवादी की ओर से सूचीबद्ध 78 गवाहों में से छः प्रतिवादी माननीय सदस्यों को छोड़कर 53 प्रतिवादी के गवाहों की गवाही दिनांक-24.05.2017 से दिनांक-20.04.2018 तक विभिन्न तिथियों को हुई और सभी 53 गवाहों का प्रतिपरीक्षण भी वादी के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री राज नंदन सहाय द्वारा किया गया।

06 प्रतिवादी सदस्य श्री नवीन जयसवाल, श्री गणेश गंझू, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्री जानकी प्रसाद यादव की गवाही एवं प्रतिपरीक्षण दिनांक-27.04.2018 से दिनांक-29.06.2018 तक में की गयी।

प्रतिवादी पक्ष के 78 गवाहों में से 06 गवाह प्रतिवादी के अनुरोध पर गवाहों की सूची से हटाये गये तथा 13 गवाह समय पर न्यायाधिकरण के समक्ष अर्थात् मेरे समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायाधिकरण के द्वारा गवाहों की सूची से बाहर करते हुए उन गवाहों को क्लोज किया गया।

प्रतिवादी के सूचीबद्ध कुल 78 गवाह में से कुल 59 गवाहों (06 प्रतिवादी माननीय सदस्य सहित) का गवाही हुई एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण पूर्ण किया गया।

इस प्रकार मेरे समक्ष दिनांक-20.04.2018 को वादी एवं प्रतिवादी के गवाहों का साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुआ।

(30) **वादी पक्ष का बहस**-- दिनांक-31.08.2018 को न्यायाधिकरण के समक्ष वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0एन0 सहाय ने अपनी याचिका के संबंध में अपना पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष रखा। उन्होंने न्यायाधिकरण को स्मरण दिलाया कि झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा श्री नवीन जयसवाल, श्री गणेश गंझू, श्री अमर कुमार बाउरी एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया को पार्टी विरोधी कार्यों में संलग्न रहने, पार्टी कार्यों में रुचि नहीं लेने

तथा दिनांक-09.02.2015 के पूर्व प्रस्तावित पार्टी पदाधिकारी एवं विधायकों की 03.00 बजे अप0 से होनेवाली बैठक में शामिल नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे के अन्दर सशरीर उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। निर्धारित अवधि तक छः प्रतिवादी माननीय सदस्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के कारण पार्टी विरोधी गतिविधि को सही मानते हुऐ उन्हें झा0वि0मो0 (प्र0) पार्टी से निलंबित किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने झा0वि0मो0(प्र0) पार्टी के संविधान की धारा-20 का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के किसी अन्य पार्टी में विलय के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है एवं उस प्रावधान के तहत् बैठक आहूत करने की व्याख्या उनकी पार्टी के संविधान में है। पार्टी के संविधान की धारा-20 में इस प्रकार है:-

(1) मोर्चा के किसी दल में विलय का फैसला केन्द्रीय कार्य समिति के द्वारा किया जायेगा। यह निर्णय 2/3 भाग सदयों के बहुमत के निर्णय से होगा।

(2) मोर्चा के नाम आदि में परिवर्तन का फैसला भी केन्द्रीय समिति अपने साधारण बहुमत से करेगी।

(3) मोर्चा के विघटन का फैसला 2/3 भाग केन्द्रीय समिति के सदस्यों के बहुमत के फैसले से होगा। मोर्चा की चल-अचल सम्पति आदि कोई हो तो यह किसी चैरिटेबल ट्रस्ट/समान विचार धारा वाले दल को देने का फैसला मोर्चा विघटन के निर्णय लेते समय ले लिया जायेगा।

विद्वान अधिवक्ता ने पार्टी का संविधान की धारा-14 का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया कि अध्यक्ष एवं कार्य समिति का कार्यकाल एवं कार्य समिति की बैठक आहूत करने के सम्बन्ध में झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के संविधान में क्या प्रावधान हैं -

(1) केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(2) केन्द्रीय समिति का भी कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(3) केन्द्रीय समिति की बैठक प्रत्येक तीन महिने में होगी। विशेष बैठक अध्यक्ष बुला सकते हैं।

(4) केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष के इस्तीफा देने पर भी कार्यकारिणी समिति बनी रहेगी।

(5) केन्द्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद बचे हुए कार्यकाल के लिए केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष का निर्वाचन कार्य समिति के किसी भी सदस्य के बीच से ही होगा।

उपरोक्त प्रावधानों एवं पत्राचार के आलोक में विद्वान अधिवक्ता ने यह अनुरोध न्यायाधिकरण से किया कि न तो विलय के संबंध में कोई बैठक आहूत की गई और न ही विलय का निर्णय लिया गया। इस पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल प्रतिवादी छः माननीय सदस्यों ने झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) जिसके चुनाव चिन्ह् से निर्वाचित हुए थे, ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ा है और इस आधार पर वे सभी प्रतिवादी माननीय सदस्य संविधान के दसवीं अनुसूची की धारा-2(1) के तहत् सदस्यता से निरर्हित किये जाने योग्य है।

(31) **प्रतिवादी पक्ष 1 एवं 3 का बहस** - दिनांक-28.09.2018 को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी 1 एवं 3 क्रमशः श्री नवीन जयसवाल एवं श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0 के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने याचिका के संबंध में अपना संवैधानिक पक्ष रखा। उन्होंने न्यायाधिकरण को स्मरण दिलाया कि याचिका दो हैं, एक श्री बाबूलाल मरान्डी के द्वारा एवं दूसरा श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 के द्वारा। दोनों याचिका समरूप हैं और न्यायाधिकरण के द्वारा इन दोनों याचिकाओं को मर्ज किया गया है। इसमें श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 की याचिका को लीड केस मानते हुए उन्होंने अपना संवैधानिक पक्ष निम्न प्रकार से रखाः-

श्री नवीन जयसवाल एवं श्री अमर कुमार बाउरी ने न तो स्वतः अपनी सदस्यता झा0वि0मो0 (प्र0) से छोड़ी है और न ही स्वेच्छा से पार्टी का त्याग-पत्र नहीं दिया है।

झारखण्ड विधान सभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम-2006 के पैरा-4 (2) के तहत दो-तिहाई सदस्य के साथ विलय किया है।

प्रतिवादी एक एवं तीन पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि झा0वि0मो0 (प्र0) के छः विधायकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में विलय की जो सूचना दी गई उसकी सम्पुष्टि करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवीन्द्र कुमार राय के द्वारा उनके दिनांक-10.02.2015 के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा को यह सूचित किया गया कि झा0वि0मो0 (प्र0) का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सहमति प्रदान की है । संवैधानिक प्रावधान के तहत उस

दल के तहत निर्वाचित छः माननीय सदस्यों जो झा0वि0मो0(प्र0) के कुल 8 सदस्यों के दो-तिहाई से अधिक होता है, को झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्थान आवंटित किया जाय।

विद्वान अधिवक्ता ने यह विषय न्यायाधिकरण के समक्ष रखा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत् राजनीतिक दल और विधायक दल में अन्तर है जिसे दसवीं अनुसूची के तहत् परिभाषित भी किया गया है। सभा में लेजिसलेचर पार्टी ही पोलिटिकल पार्टी के रूप में अभिव्यक्त है। इस मामले में लेजिसलेचर पार्टी के 8 में से 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर गये हैं, इसलिए यह सदस्य किसी भी दशा में दसवीं अनुसूची के धारा 2(1) के तहत अयोग्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि धारा-4 के तहत उनका विलय पूर्णतः वैध है।

उन्होंने यह भी कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत पोलिटिकल पार्टी है या नहीं इसका निर्णय नहीं लिया जाना है, बल्कि इस विन्दु पर निर्णय लिया जाना है कि पारा-4 के तहत् दो तिहाई सदस्य विलय को स्वीकार करते हैं या नहीं। यहाँ दो-तिहाई सदस्य ने यदि सहमति दी है तो यह माना जायेगा कि औरिजिनल पार्टी यानी झा0वि0मो0 (प्र0) का पोलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है।

दिनांक-20.01.2015 को दलादली नामक स्थान में झा0वि0मो0(प्र0) की बैठक बुलाई गई। श्री जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में उक्त बैठक में विधायक दल के 2/3 सदस्यों के साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने से संबंधित विचार-विमर्श हुआ। दिनांक-20.01.2015 की बैठक में लिये गये निर्णय को दिनांक-08.02.2015 को पुनः दलादली में झा0वि0मो0(प्र0) के वरीय पदाधिकारीगण, विधायकों एवं सदस्यों की बैठक में श्री जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में विलय का निर्णय के संबंध में प्रस्ताव-5 में दो तिहाई मेम्बर के साथ झा0वि0मो0(प्र0) को भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया है।

वादी पक्ष द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि दिनांक-08.02.2015 को बैठक नहीं हुई थी बल्कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि बैठक विधिवत् आहूत नहीं थी, इसलिए विलय का निर्णय पार्टी के संविधान के अनुकूल नहीं है।

(32) **प्रतिवादी संख्या 2 का बहस** - दिनांक-24.10.2018 को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी सं0-2 श्री गणेश गंझू, स0वि0स0 के प्राधिकृत विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री जय प्रकाश झा ने

अपना संवैधानिक पक्ष रखा। उन्होंने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम 2006 के पारा-4 का उल्लेख करते हुए पक्ष रखा कि दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता की विलय की दशा में लागू न होता यदि सदन का कोई सदस्य पारा-2 के उप पारा-1 के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है।

उप पारा-1 के प्रयोजन के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान मंडल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं, अर्थात् झा0वि0मो (प्र0) के 8 विधायक में से 6 सदस्य जो दो तिहाई से अधिक है, सहमत होकर भाजपा में विलय कर लिये हैं, जो नियम संगत है और निरर्हित नहीं हो सकते।

विद्वान अधिवक्ता ने इस विषय पर बल दिया कि यह पूरा मामला दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के विलय की दशा में लागू नहीं होना, से संबंधित है। दल परिवर्तन और निरर्हता विलय की दशा में कैसे प्रभावी नहीं होगा, यह धारा-4 में स्पष्ट है, जिसमें यह वर्णित है कि सदन का कोई सदस्य पारा-2 के तहत उप पारा-1 के अधीन निरर्हित नहीं होगा, यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है।

पारा-2(1) के प्रयोजन के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब संबंधित विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो गये हैं ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह स्पष्ट किया कि वादी को अपना पक्ष स्वंय सिद्ध करना होता है, इस क्रम में उन्होंने इस विषय को सिद्ध नहीं किया है कि प्रतिवादी माननीय सदस्यों ने अपने पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ा है इसलिए उनकी याचिका अमान्य योग्य है।

(33) **प्रतिवादी सं0-04 का बहस** - प्रतिवादी-4 श्री आलोक कुमार चौरसिया, की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दसवीं अनुसूची के तहत यह स्पष्ट किया कि किस दशा में किसी सदस्य को निरर्हित होना होता है और किस दशा में निरर्हित नहीं हो सकता है। उन्होंने पारा-2 के तहत बताया कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है या वो पार्टी ह्वीप के विरूद्ध सभा में मत देता है या मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित रहता है।

वर्तमान स्थिति में मत देने या हवीप के उल्लंघन का विषय नहीं बनता है। पैरा-2(1) को पैरा-4 के साथ देखना आवश्यक है जिसके तहत् कहा गया कि किस दशा में सदस्यों का निरर्हता नहीं होगी। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल दो तिहाई सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करते हैं तो वह स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना नहीं है और न निरर्हित होने के प्रावधान के तहत् निरर्हित नहीं किये जा सकते। वर्तमान सन्दर्भ में 8 में से 6 विधायक दल के सदस्य ने झा०वि०मो०(प्र०) के रूप में निर्वाचित थे, भाजपा में विलय किया है जिसकी सहमति भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल के 2/3 विधान मंडल सदस्यों के विलय की शर्तों को पूरा करने के कारण प्रतिवादी निरर्हता से ग्रसित नहीं होते हैं।

(34) **प्रतिवादी सं0-05 का बहस** - दिनांक-06.11.2018 प्रतिवादी सं0-5 श्री रणधीर कुमार सिंह की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने अपना पक्ष रखा।अधिवक्ता ने इस विषय को स्पष्ट किया कि अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के दिनांक-12.02.2015 को निर्गत विवरणिका में प्रथम दृष्टया प्रासंगिक सभी छः माननीय सदस्यों को तार्किक आधार पर एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत् प्रथम दृष्टया झारखण्ड विधानसभा में विलय की अनुमति दी एवं नैसर्गिक न्याय के तहत वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। वादी पक्ष को यह सिद्ध करने का दायित्व था कि यह विलय नियम संगत नहीं है और इसलिए ये सदस्य निरर्हता से ग्रस्त हैं।

वादी ने जिस प्रकार झा०वि०मो०(प्र०) के संविधान का उल्लंघन किया है उससे यह सिद्ध नहीं हो पाता है कि उनके स्तर से यह प्रमाणिक हो कि प्रतिवादी ने स्वेच्छा से अपनी पार्टी को छोड़ा है। झारखण्ड विधानसभा अध्यक्ष के 12 फरवरी, 2015 के आदेश के बाद यह सिद्ध करना था कि यह मर्जर सही है या नही। यह वादी पक्ष का दायित्व था कि वे प्रमाणिक अभिलेख देते कि यह मर्जर गलत है या इन लोगों ने मर्जर नही किया। वादी पक्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रतिवादी जिस बैठक का उल्लेख कर रहे हैं वो बैठक हुई या नहीं, बैठक विधिवत हुई या नहीं हुई, यह उनके दल का विषय है जो सदस्यों की निरर्हता से संबंधित दसवीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद के तहत् निर्मित दसवीं अनुसूची में यह प्रावधानित है कि यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों का विलय सभा में हो जाता है तो यह माना जायेगा कि उस पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में हो गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक दल के सदस्य भाजपा में विलय के लिए सहमत हैं जिसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में सहमति दी है और अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा द्वारा उन्हें प्रथम दृष्टया उचित मानते हुए विलय की अनुमति दी गई एवं उन्हें सभा में भाजपा के सदस्य के रूप में स्थान आवंटित किया गया। 2/3 सदस्य के विलय का अर्थ स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना नहीं हो सकता है। दसवीं अनुसूची में दोनों तथ्यों को स्पष्ट किया गया है कि किस दशा में सदस्यता से निरर्हित होना है और किस दशा में निरर्हित नहीं होना है। दसवीं अनुसूची में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल का विलय विधान सभा में 2/3 सदस्यों के साथ पूर्ण माना जायेगा। दसवीं अनुसूची में माना जायेगा वर्णित है, न कि 2/3 सदस्य की सहमति पर ही माना जायेगा ऐसा है।

विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में माननीय गोहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय उद्धृत करते हुए निवेदन किया है कि किसी राजनीतिक दल का विलय पर प्रश्न तब उठता है यदि उस दल के विधायक दल के सदस्यों की 2/3 सदस्य से कम अपनी सहमति देते हैं। यदि 2/3 सदस्य सहमति देते हैं तो उनका विलय निस्संदेह मान्य है और इसमें किसी जाँच या इन्क्वायरी की आवश्यकता भी नहीं है। दसवीं अनुसूची के पारा-4 के तहत् सिर्फ यह देखना है कि क्या राजनीतिक दलों के विलय 2/3 सदस्यों का समर्थन है, या नहीं।

(35) **प्रतिवादी सं0-6 का बहस** - दिनांक-07.12.2018 को प्रतिवादी सं0-6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने अपना पक्ष रखा। प्रतिवादी सं0-5 के ओर से जिन बातों को उन्होंने रखा, उसके अतिरिक्त उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादी सदस्यों को झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) द्वारा दिनांक-9 फरवरी, 2015 को जो नोटिस दिया गया उसमें स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का विषय नहीं था, बल्कि पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया था। इसलिए सभी प्रतिवादी सदस्यों पर यह विषय बनाता ही नहीं है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है, दूसरी ओर वादी पक्ष अध्यक्ष के दिनांक-12.02.2015 को निर्गत विवरणिका संख्या-62 दिनांक-12.02.2015 में विलय को प्रथम दृष्टया सही ठहराने को चुनौती दी जानी चाहिए थी, जो वादी द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका।

इनके सारे साक्ष्य, गवाही और तर्क इस विषय पर आधारित है कि प्रतिवादीगण पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे और झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) के संविधान के तहत् वह बैठक नहीं हुई है जिसमें विलय का निर्णय लिया गया और विलय की प्रक्रिया जो झा0वि0मो0 (प्र0) के संविधान में उल्लेखित है उसका पालन नहीं किया गया जबकि तथ्य

यह है कि दसवीं अनुसूची के पारा-2 के प्रावधानों के तहत् निरर्हता से ग्रस्त होने के जो आधार है, वे सभी छः पार्टी विधायकों पर लागू नहीं होते हैं, साथ ही धारा-4 के तहत् विलय की दशा में निरर्हता से ग्रसित नहीं होने के जो प्रावधान है, उसके तहत वादी की याचिका पूरी तरह अमान्य करने योग्य है।

(36) **वादी पक्ष का बहस** - दिनांक-29.09.2018 से दिनांक-07.12.2018 तक छः प्रतिवादीगण के द्वारा याचिका में रखे गये संवैधानिक पक्ष, प्रश्नों एवं बहस के आलोक में दिनांक-12.12.2018 को वादी श्री बाबूलाल मरान्डी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि निर्णय यह करना है कि छः प्रतिवादी सदस्य जो झा0वि0मो0 (प्र0) से निर्वाचित हुए थे, 10वीं अनुसूची के तहत् निरर्हत्ता के योग्य हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि दिनांक-08.02.2015 को दलादली में हुई बैठक में केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य उपस्थित थे या नहीं। उन्होंने पार्टी संविधान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वह बैठक केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक थी ही नहीं और न ही श्री जानकी प्रसाद यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी संविधान के अनुसार केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक अध्यक्ष ही बुला सकते हैं। श्री बाबूलाल मरान्डी जो पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति के लिए भेजे गये पत्र का प्रमाण प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्ताव से पूर्व ही हस्ताक्षर करा लिये गये हैं, इस बैठक का कोई एजेन्डा भी नहीं था। इसके विपरीत जो प्रतिवादी सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए कारण पृच्छा किया गया और पार्टी विरोधी बयान के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह पक्ष पुनः रखा कि सभी छः प्रतिवादी विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़कर चले गये और झा0वि0मो0 (प्र0) पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ।

उन्होंने यह भी निवेदन किया कि पार्टी का विलय यदि नहीं हुआ है तो सदस्यों का विलय 10वीं अनुसूची के तहत निरर्हत्ता योग्य है। विलय किसी राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल से ही हो सकता है, किसी सदस्य का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय अपनी मूल पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ना ही माना जायेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि

माननीय गोहाटी उच्च न्यायायलय के निर्णय में यह मान लिया गया है कि यदि 2/3 विधायक दल के सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं तो यह माना जायेगा कि राजनीतिक दल का विलय हुआ किन्तु न्यायाधिकरण में यह तय नहीं किया कि वस्तुतः दोनों दल का विलय हुआ है या नहीं। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि वर्त्तमान मामले में यह निर्विवाद रूप से यह स्थापित हो गया कि झा0वि0मो0 (प्र0) ने भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल के रूप में विलय का निर्णय उसके पार्टी संविधान के अनुरूप, जिसके तहत् विलय के और केन्द्रीय कार्य समिति के बैठक आहूत करने का स्पष्ट प्रावधान है, नहीं लिया गया। बैठक असंवैधानिक है, निर्णय गढ़े हुए हैं और इस आलोक में सभी छः प्रतिवादी माननीय सदस्यों ने अपनी मूल पार्टी, जिसके चुनाव चिन्ह पर वे निर्वाचित हुए थे, को स्वेच्छा से छोड़ दिया इसलिए ये सभी छः प्रतिवादी सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत् झारखण्ड विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित करने सर्वथा योग्य हैं।

दिनांक-12.12.2018 को वादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखने के उपरांत न्यायाधिकरण द्वारा याचिका पर न्याय-निर्णय सुरक्षित रखी गयी है।

37. **न्यायाधिकरण का मंतव्य**

मेरे द्वारा दिनांक-12.02.2015 को दिया गया आदेश जो झारखण्ड विधान सभा की विवरणिका (ज्ञापांक सं0-कार्मिक-10/15-62 दिनांक-12.02.2015 द्वारा जारी किया गया) में मैंने भारत का संविधान के अनुच्छेद-191(2) तथा संविधान की 10वीं अनुसूची की पैरा-6 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के रूप में यह विनिश्चय किया कि -

"1. दसवीं अनुसूची के पैरा-4 (2) के अधीन प्रथम दृष्ट्या विलय की शर्त्तों को पूरा करने के कारण इस मामले में विलय की सहमति प्रदान की जाती है ।

2. नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के तहत् श्री बाबूलाल मरांडी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के आवेदन के आलोक में दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से वर्णित सभी 6 माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य समझे जायेंगे।"

इस विनिश्चय तक पहुँचने के लिए जो तथ्य मेरे समक्ष उपस्थित थे, उसका भी जिक्र उक्त विवरणिका में किया गया है।

इस मामले में मेरे समक्ष वादी श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झा0वि0मो0 (प्र0) एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 तथा प्रतिवादीगण (1) श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0 (2) श्री गणेश गंझू, स0वि0स0 (3) श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0 (4) श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 (5) श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0 (6) श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0 ने स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष की ओर से अनेक गवाहों का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण भी हुआ। इस याचिका से जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर पहले वादी फिर प्रतिवादी और अन्त में पुनः वादी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को विद्वतापूर्वक संवैधानिक परिपेक्ष्य में रखा गया।

38. इस मामले में दिनांक-02.02.2016 को दोनों पक्षों द्वारा जिन विन्दुओं (वाद प्रश्नों) को उठाया गया था, उन विन्दुओं पर दोनों ही पक्ष द्वारा विन्दुवार निष्पादन के बजाय उन विन्दुओं से उभरे दो मूल विन्दु पर दोनों पक्ष केन्द्रित रहे।

(i) पहला विषय यह रहा कि क्या 6 प्रतिवादी माननीय सदस्यों द्वारा अपनी मूल राजनीतिक दल जिसके चुनाव चिह्न से वे चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में विलय की सहमति देना 10वीं अनुसूची के पैरा-2(1) के तहत् स्वेच्छा से पार्टी छोड़ा जाना माना जायेगा।

(ii) दूसरा विषय यह रहा कि क्या 10वीं अनुसूची के पैरा-4 के तहत् ये सभी छः प्रतिवादी सदस्यगण, जिनकी संख्या झा0वि0मो0 (प्र0) के कुल 8 सदस्य संख्या के दो-तिहाई से अधिक होते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय की दशा में वे 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के प्रावधान के तहत् निरर्हत्ता लागू नहीं होते हैं?

पूरी बहस के क्रम में यह विषय भी आया कि क्या वादी श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झा0वि0मो0 (प्र0) एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिया गया

आवेदन जिसके तहत् उन्होंने 6 प्रतिवादी सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया, वे ग्राह्य हैं या नहीं।

39. वादी पक्ष ने झारखण्ड विधान सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता) नियम-2006 के नियम-6 का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण नियम-7(2) के तहत् उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया।

नियम-6 एवं 7 का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:-

नियम-6 - निर्देश का अर्जी किया जाना -

(5) प्रत्येक अर्जी -

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है, और

(ख) के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियाँ संलग्न होंगे जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहाँ अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गयी किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहाँ उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गयी ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा।

नियम 7- प्रक्रिया:-

(2) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा।

इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा पूर्व के न्याय-निर्णयों का उल्लेख किया। अब तक के विभिन्न न्याय-निर्णयों से यह निर्विवाद रूप से सुस्थापित हो चुका है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में प्राप्त आवेदनों की सुनवाई एवं निर्णय में कानून की तकनीकियाँ बाधा नहीं बन सकती हैं। मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर मिले एवं निर्णय तथ्यों पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकी आधार उदाहरणस्वरूप, साक्ष्य संहिता का पालन, दीवानी प्रक्रिया संहिता का पालन इत्यादि इस न्यायाधिकरण के लिए उस ढंग से आवश्यक नहीं है जिस ढंग से उसका प्रयोग सक्षम दीवानी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

वादी पक्ष ने अपने गवाहों की गवाही, झा0वि0मो0 (प्र0) पार्टी के संविधान के नियमों एवं 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत् यह उल्लेख किया कि झा0वि0मो0 (प्र0) के संविधान में पार्टी के विलय या विघटन किस रूप में प्रावधानित है एवं यह निर्णय लेने हेतु होनेवाली बैठक और बैठक में लिये जाने की प्रक्रिया क्या है।

वादी पक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी सदस्यों एवं अन्य के द्वारा जो बैठक दिनांक-08.02.2015 को हुई, वह झा0वि0मो0 (प्र0) के संविधान में प्रावधानित नियमों के तहत् मान्य नहीं हैं क्योंकि यह बैठक अधिकृत व्यक्ति द्वारा आहूत नहीं थी। इस परिपेक्ष्य में प्रतिवादी सदस्यों द्वारा यह कहा जाना कि झा0वि0मो0 (प्र0), राजनीतिक दल का विलय भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक दल में हो गया है, यह पूर्णतः असत्य है और इस आधार पर कि जब राजनीतिक पार्टी का विलय हुआ ही नहीं तो उस पार्टी के विधायकों का विलय मान्य नहीं किया जा सकता। इस तथ्य और परिस्थिति के आलोक में 6 प्रतिवादी सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में विलय को स्वेच्छा से अपनी मूल राजनीतिक दल को छोड़ना है, इसलिए ये सभी प्रतिवादी सदस्य संविधान की 10 अनुसूची के पैरा-2(1) के तहत् झारखण्ड विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित किये जाने के सर्वथा योग्य हैं।

40. प्रतिवादी माननीय सदस्यों के अधिवक्ताओं ने अपने बहस के दौरान न्यायाधिकरण के समक्ष यह पक्ष रखा कि 10वीं अनुसूची के पैरा-4 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किस दशा में दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता लागू नहीं होता है। इस प्रसंग में प्रतिवादी अधिवक्ताओं ने पैरा-4(1) एवं 4(2) का उल्लेख किया जो निम्न प्रकार है:-

नियम-4 - दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हत्ता का विलय की दशा में लागू न होना-

(1) सदन का कोई सदस्य पैरा-2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य -

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने गये राजनीतिक दल के सदस्य बन गये है; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नये राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जायेगा कि वह पैरा-2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं।

प्रतिवादी पक्ष ने अपने तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह तथ्य न्यायाधिकरण के समक्ष रखा कि संविधान के अनुच्छेद-191(2) के तहत् 10वीं

अनुसूची के प्रावधानों में किसी राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय का निर्णय लिये जाने का प्रावधान नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत् किसी माननीय सदस्य के अपनी पार्टी जिसके चुनाव चिन्ह पर वे निर्वाचित हुए, को स्वेच्छा से छोड़े जाने तथा किसी राजनीतिक दल के विधान मंडल के सदस्यों के अन्य राजनीतिक दल में विलय करने पर सदस्यता से निरर्हित न होने पर विचार किया जाना है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस तथ्य को भी रखा कि 10वीं अनुसूची के पैरा-2 इन 6 प्रतिवादी माननीय सदस्यों पर प्रभावी नहीं होता है क्योंकि उन्होंने न तो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ी है और न ही पार्टी के किसी हवीप का उल्लंघन किया है।

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने पैरा-4(2) का इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया जिसमें यह उल्लेखित है कि -

पैरा-4(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये हैं।

यह प्रावधान यह दर्शाता है कि किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय उस राजनीतिक दल के विधान दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का ऐसे विलय के सम्बन्ध में निर्णय अहम् है। किसी राजनीतिक दल के विधायक दल दो-तिहाई सदस्य यदि सहमति देते हैं तो यह माना जायेगा कि विधान सभा के प्रयोजन हेतु उस राजनीतिक दल का विलय अन्य राजनीतिक दल में हो गया है।

प्रासंगिक मामले में झा0वि0मो0 (प्र0) विधान दल के 8 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने जो कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या से अधिक है, ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया है और यह तथ्य साक्ष्य से विधिक रूप से प्रमाणित हो गया है, फलतः इस आलोक में पैरा 4 के प्रावधानों के तहत् निरर्हत्ता का विषय इन 6 प्रतिवादी सदस्यों पर लागू नहीं होता है।

41. इस क्रम में प्रतिवादी सं0-4, श्री आलोक कुमार चौरसिया एवं प्रतिवादी सं0-6 श्री जानकी प्रसाद यादव के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने अन्य प्रतिवादियों द्वारा रखे गये इस मत को स्थापित करने हेतु Gauhati High Court के Er.T.L. Semdok Vs Imtilemba Sangtam & Ors के WP(C)-175(K)/2014 में दिनांक-12.11.2014 को दिये गये न्याय-निर्णय की पैरा-32, 33 एवं 34 की ओर न्यायाधिकरण का ध्यान आकृष्ट कराया जो निम्नवत् है:-

(32) Paragraph 4(1) inheres and suggest and inevitable concept of split. One group endorsing the split and joining the other political party. The other group, which do not agree to merger and opt to function as a separate group. So also, Article 39 of the NCP Constitution does not envisage a whole hog merger. There is evident distinction between paragraph 3 and paragraph 4. In the extinct paragraph 3, there is no deeming provision. The Supreme Court in Dr. Mahachandra Prasad Singh's case has held that an enquiry regarding merger is necessary. In the said decision, the observations pointedly refer only to the provisions of paragraph 1(a) and 1(b) and there is no reference to paragraph 2. The argument that in order to constitute valid merger under paragraph 4(1) and (2), there should be a valid merger according to the party constitution and also that 2/3 members shall endorse such merger appears to be an untenable argument. The learned counsel for the respondents strenuously argued that the requirement of 2/3 members endorsing the merger in paragraph 4(2) is relatable to merger envisaged under paragraph 4(1) is also not an acceptable argument.

(33) The distinction between paragraph 1 and 2 lies in the fact that in paragraph 1, there should be a valid merger according to the party constitution and elected members of the House endorsing that merger even they are less than 2/3 and join other political party, they would be saved from disqualification and those who do not agree to the merger would be treated as a separate group. It is only in the case of valid merger, the legislators endorsing merger are less than 2/3 joining the other party, when the Speaker will have the jurisdiction to make an enquiry regarding valid merger. But when 2/3 members of the House endorse the merger and join other political party, it would be inscrutable for the Speaker to make and enquiry since the deeming provisions in paragraph 4(2) declares and makes it conclusive proof of fact of merger of original political party.

(34) The argument that the last words 'such merger' in paragraph 4(2) should be relatable to valid merger according to the party constitution is untenable. Such merger should be understood in the context of the provisions of paragraph 2 only. If the argument of the counsel for the respondent Nos. 1 and 4 is accepted, the very purpose of the deeming provisions of paragraph 4(2) would be rendered redundant. The argument that such a view would amount to re-inventing the ghost of extinct paragraph 3 in paragraph 4(2) is an incorrect view. On the other hand, the plain language of the deeming provision of paragraph 4(2) supports the view taken by us and it only amounts to discovering the correct meaning and effect of the deeming provision. Therefore, we are of the opinion that by virtue of the deeming provisions in paragraph (2), 2/3rd elected members of the House have endorsed the merger and joined BJP. The claim of merger set up by them is inscrutable on the part of the Speaker. The deeming provisions will come into effect and such merger claimed by them is a valid merger within the meaning of paragraph 4(2). Constituently, they do not suffer disqualification under paragraph 4-2(1).

उपर्युक्त वाद-निर्णय इस वाद के संदर्भ में सटीक व सुसंगत है और मेरे निष्कर्ष का समर्थन करता है।

42. यहाँ स्पष्ट करना उचित है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत् अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में मात्र ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे कि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची

के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, परन्तु किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन के विषय में 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन उस दल के आंतरिक अनुशासन से संबंधित होगा जिसके विनिश्चय के लिए अध्यक्ष, विधानसभा का कार्यालय या न्यायाधिकरण उपयुक्त फोरम नहीं माना जा सकता।

## निर्णय

(1) सारे तथ्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों पर सम्यक् विचारोपरांत मेरे द्वारा दिनांक-12.02.2015 को दिये गये आदेश (क्रमांक-1) जिसके तहत् 10वीं अनुसूची के पैरा 4(2) के अधीन प्रथम दृष्टया विलय के शर्त्तों को पूरा करने के कारण इस मामले में विलय की सहमति प्रदान किया गया था, के क्रम में उस विलय को वैध पाते हुए विलय की सहमति प्रदान करता हूँ।

(2) वादी श्री बाबूलाल मरान्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झा0वि0मो0 (प्रजातांत्रिक) के दिनांक-09.02.2015, 10.02.2015 एवं दिनांक-11.02.2015 और श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 के दिनांक-25.03.2015 को प्राप्त आवेदन जिसके द्वारा उन्होंने झा0वि0मो0 (प्र0) के चुनाव-चिन्ह से निर्वाचित 6 माननीय सदस्यगण (1) श्री नवीन जयसवाल, स0वि0स0 (2) श्री गणेश गंझू, स0वि0स0 (3) श्री अमर कुमार बाउरी, स0वि0स0 (4) श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 (5) श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0 एवं (6) श्री जानकी प्रसाद यादव, स0वि0स0, को पार्टी विरोधी गतिविधि एवं आचरण के आधार पर 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत् झारखण्ड विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित करने हेतु अनुरोध किया था, को सम्यक् विचारोपरान्त एतद् द्वारा अमान्य करता हूँ।

(3) इन याचिकाओं को निष्पादित घोषित करता हूँ।

(4) इस आदेश की प्रति सभी वादी एवं प्रतिवादीगण को उपलब्ध करा दी जाए।

20.02-19

दिनांकः - 20 - 02 - 19

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष
झारखण्ड विधानसभा, राँची।

स्थानः- झारखण्ड विधानसभा, राँची।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 51--100--25-9-2019 ।